322

SHRI MALLIKARJUN: Since this has been cleared by the Planning Commission, there is also an intence feeling on the part of the Delhi Administration. I am fully confident that the Delhi Administration will come forward to invest their share and I am hopeful that it will be completed within three or four years.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Ten minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Sixteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

SALARY, ALLOWANCES AND PEN-SION OF MEMBERS OF PARLIA-MENT (SECOND AMENDMENT) BILL\*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954."

श्री अटल बिहारी वाजपेशी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय सामान्य तौर पर जब विधयक को पेश करने की अमुमित मांगी जाती है तो उसका विरोध नहीं किया जाता है। फिर यह विधयळ तो संसद सदस्यों के वितन, पेंशन और भत्तों से स्म्बन्धित है। इसलिए मेर विरोध आपको खल रहा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दोश में यह घारणा है कि संसद सदस्य और विघान मंडलों के सदस्य अपने बेतन मों, भत्तों मों और अपनी सुवि- वाओं में अनाप-शनाप विस्तार करते जाते हैं। मुफ्ते कुछ विधान मण्डलों के सदस्यों के बेतन और भत्तों का विवरण देखने को मिला है। उनमें एकरूपता नहीं है। ससद् में जो यह विधयक लाया जा रहा है इसमें कहा गया है कि इस से 17 लाख रुपये का खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कि सलाह-मश्चित्र करके किया जा रहा हो।

मगर, उपाध्यक्ष महोदय, आप विधेयक को देखिए । इसमें लिखा है कि तीसरे दर्ज के स्थान पर दूसरे दर्जे शब्द लिख दिए जाएं। बहुत दिन गए, देश में रेल गाड़ियों में तीसरा दर्जा खत्म हुये । आजकल तीसरा दर्जा है ही नहीं । क्या इसके लिए यह विधेयक लाना जरूरी था? क्या यह काम नियमों में संशोधन कर के नहीं किया जा सकता था ? तीसरे दर्जे के स्थान पर दूसरे दर्जा शब्द रख दिए जाए, इस संशोधन का क्या मतलब है? तीसरा दर्जा आज कहां है ? इसी तरह से इसमें कहा गया है कि तीसरे दर्जे के स्थान पर प्रथम दर्जे शब्द रख दिये जाए । क्या इतने छाटे से संशोधन को करने के लिए हमें संसद् के कान्न में परिवर्तन करना होगा? जैसे रेलवे में तीसरा दर्जा खतम हो गया, और उसके स्थान पर केवल दसरा दर्जा रह एया । यह परिवर्तन भी आपने किया था ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने सुविधाओं की दिष्ट से हवाई जहाज से यात्रा करने की कुछ सुविधा दी है। लेकिन अगर कोई संसद् सदस्य डिफ्रांस पे कर के हवाई जहाज से सफर करना चाहे तो वह अनुमति नहीं दी । मुभ्ने संसद् सदस्य के नाते और एक पार्टी के प्रतिनिधि के नाते सारे देश में घुमना पड़ता है। मैं डिफ्रेंस पे कर के एयरकन्डीशन मों तो जा सकता हुं लेकिन हवाई जहाज दोनों ही सरकार चलाती हैं। हवाई जहाज देनों ही सरकार चलाती है। मुक्ते डिफ्रोंस पे कर के हवाई जहाज से यात्रा करने की सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए । मेरे पास फर्स्ट क्लास का पास है । उसको डिफ्रोंस पे कर के मुभ्ने हवाई जहाज से यात्रा करने की भी स्विधा होनी चाहिए । इसके बार में यह सोचना कि इससे हवाई जहाज में भीड बढ जाएगी क्योंकि संसद के सदस्य

324

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बेरोक-टोक यात्रा शुरू कर दंगे, यह ठीक नहीं है । घर से पर निकालना खर्चा करना होता है । कितने संसद् सदस्य हवाई जहाज से यात्रा करते हैं ? मैं हवाई अड़डे पर देखता हूं कि जो भी संसद् सदस्य यात्रा करते हैं उनमें बहुतों के पास वहां घर तक पहां-चाने के लिए गाड़ी नहीं होती है। तो आप भेद क्यों कर रहे हैं ? संसद सदस्यों को हवाई जहाज से डिफरेंस देकर के यात्रा कर-ने की सुविधा मिलनी चाहिए। डिफर्स कोई कम नहीं है, बहुत डिफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन यह तो मेरी समभ में नहीं आता कि रेल में एयरकन्डीशन में डिफर्स देकर यात्रा की जा सकती है, लेकिन हवाई जहाज से डिफरेस देकर यात्रा नहीं की जा सकती ।

इसलिए मेरा कहना यह है कि टुकड़ों में लाने के बजाये एक कंसलिड टेड विधेयक लाइए। कुछ चीजों छूट गई है, जिनका उल्लेख में नहीं करना चाहता। चीफ व्हिप की बैठक हुआ करती र्लियामेन्ट के चीफ व्हिप विधानमण्डलों के चीफ व्हिपों की बैठक बलाया करते थे और कई सामान्य प्रश्नों की चर्चा होती थी। इस मामले में भी वहां पर सलाह हो सकती थी। हरियाणा में क्या मिल रहा है, हिमाचल में क्या मिल रहा है, बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई है। इसके बारे में हम एक समान नीति बना सकते हैं।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Sir, I would like to know whether this is a stage where he can speak on the subject.

DEPUTY-SPEAKER: times. he gives good suggestions and acts as a good friend also.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने बढ-बाने के लिए इतने घण्टे खराब किए और अब मुक्ते 10 मिनट दोने पर इतने उतावले हो रहे हैं कि जल्दी पास हो जायें और ये पत्नी के साथ हवाई जहाज की यात्रा कर सकें। मेरी तो इसमें रूचि है नहीं । (व्यवधान) इसीलए में इन बातों की तरफ आपका

ध्यान खींचना चाहता हूं और इसके लिए विरोध करने की जो प्रिक्रया है, लाभ उठा रहा हूं।

(Interruptions)

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I gave notice, Sir.

DEPUTY-SPEAKER: No, you MR. have not given.

SHRI A. K. ROY: I gave a notice, I don't know why it has not reached you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you want to say anything all right you say.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): I would also like to speak on this Sir.

MR DEPUTY-SPEAKER: No. I have made it an exception because he had got

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I have also got up,

MR. DEPUTY-SPEAKER: But I know he will not tell anything wrong. Therefore, I have allowed him.

SHRI A. K. ROY: Sir, this is a wrong Bill brought in at a wrong time and it will have a very wrong impact on the society. According to Rule 72 in the preliminary, we are supposed to raise only a question of legislative competence and constitutional infirmities, but when any law is made ....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already said how can you oppose it under the constitutional propriety and all that, you don't go into the merits of the Bill.

SHRI A. K. ROY: I am not going into the merits because it has got so many merits and one cannot go over them quickly. But I can definitely go into the demerits of it.

One more important point must be kept in view while legislating a Bill for the Legislators. That point is one of public interest and reaction on the people. I feel at present any move by the Parliament

to extend the previleges and facilities of any Member will have a very bad reaction throughout the country. It will question the very credibility of the Legislation.

I would like to raise one more point and, Mr. Deputy-Speaker you also think about it. Simply because somebody is accompanying an MP, he will be getting certain privileges according to the Bill and Rs. 70 lakhs will be spent on that account. Sir, an MP enjoys certain privileges because of the nature of work he has to do and not because a fixed man is accompanying an MP. Any person, any Tom, Dick and Harry accompanying an MP will enjoy certain privileges as has been kept in the Legislation. I would like to know, if it will attract directly or indirectly Articles 14, 15 and 16, because the privileges of the MP can not be extended to his associate who may be temporary associate. That is a point which must be kept in view.

Now, when the whole country is starving and the people dying, I consider it a crime to spend even a single naya paisa for the benefit of the MPs.

श्री भीष्म नारायण सिंहः उपाध्यक्ष महा-दय, जैसा कि अभी आपने स्वयं कहा है कि इंट्रांडक्शन स्टेज पर लेजिसलेटिव कपीटेस का सवाल ही उठाया जा सकता है, लिए मेरिट में जाकर मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहना चाहता हूं कि आप स्वयं इतने व शल सासंद हैं और नियम तथा कानून के जानकार हैं। आपने देखा कि जब डागा साहब गैर सरकारी प्रस्ताव संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते तथा स्विधाओं की विदिध के लिए लाये थे तो एक कान्सेन्सस व्य था। आपके दल के माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया था और जो आम तौर से राय थी, उसका देखते हुए और जैसा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारा आइडियल सिंगल लिकिंग और हाई थिंकिंग का है, उसको देखते हुए ज्वाउंट कमेटी की जो सिफारिशें थी, उनमें से बहुत कम हमने लेने की कोशिश की है जिससे आम भावना यह न बनें कि संसद सदस्य अपनी सख सुविधाओं का ज्यादा स्थाल रखते है, जैसा कि अभी आपने भी कहा है। इस बात का

प्राध्यान रखा गया है और कम से कम चीजों को लिया गया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि डिफरंस देकर हवाई जहाज से ट्रवल करने की सुविधा होनी चाहिए, इस तरह के बहुत सुभाव थे, लेकिन इसमें हम केवल बढ़ा रहे हैं, सेलरी या अलाउं सेस नही बढ़ा रहे हैं और न ही कोई सह लियतों में बहुत बढ़ातरी की बात है। ज्वाइंट कमेटी की सिफारिशों के अनसार जो मिनिमम कर सकते थे, उसको करने की चेष्टा कर रही हैं और सदन पूरा कंपीटेंट है, योग्य है इसको पारित करने में। इसलिए इंट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध का कोई औ चित्य नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जो आर्दश हमारे सामने हैं, उनको ताक पर रखकर कोई सविधा हम नहीं बढ़ा सकते।

DEPUTY-SPEAKER: Before I put the Motion to the House, I would tell Mr. Roy that his letter was received by the Office at 2.20 p.m. It should have reached by 10 O' Clock in the morning. But anyhow, as a special case, he has been allowed and he should not show it as a precedent.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and pension of Members of Parliament Act 1954."

SHRI A. K. ROY: Sir, I press for Division.

DEPUTY-SPEAKER: Let the MR. Lobbies be cleared.

The Lok Sabha Divided:

Division No. 1]

[14.34 hrs.

AYES

Appalanaidu Shri S. R. A. S. Banatwalla Shri G. M. Bansi Lal, Shri Bhardwaj, Shri Parasram Bhim Singh, Shri Bhole, Shri R. R. Birbal, Shri

Chavan, Shri S. B.

Chouhan, Shri Fatehbhan Singh

Daga, Shri Mool Chand

Dalbir Singh, Shri

Dennis, Shri N.

Digvijay Sinh, Shri

Dubey, Shri Ramnath

Era Mohan, Shri

\*Gamit, Shri Chhitubhai

Ghufran Azam, Shri

Hembrom, Shri Seth

Jha, Shri Kamal Nath

Khan, Shri Mahmood Hassan

Kosalram, Shri K. T.

Krishna, Shri S. M.

Krishna Pitatap Singh Shri

Krishna, Shri G. Y.

Kuchan, Shri Gangadhar S.

Madhuri Singh, Shrimati

Mahabir Prasad, Shri

Mahajan, Shri Y. S.

Mallanna, Shri K.

Malikarjun, Shri

Meena Shri Ram Kumar

Mishra, Shri Gargi Shankar

Muttemwar, Shri Vilas

Nagarathnam, Shri T.

Naikar, Shri D. K.

Nair, Shri B. K.

Nandi Yellaiah, Shri

Narayana, Shri K. S.

Nayak, Shri Mrutyunjaya

Nihal Singh Shri

Padayachi, Shri S. S. Ramaswamy

Panigrahi Shri Chintamani

Panika, Shri Ram Pyare

Parashar, Prof. Narain Chand

Patel, Shri Shantubhai

Patil, Shri A. T.

Patil, Shri Balasaheb Vikhe

Patil, Shri Uttamrao

Phulwariya, Shri Virda Ram

Potdukhe, Shri Shantaram

Qazi Saleem, Shri

Quadri, Shri S. T.

Ranga, Prof. N. G.

Rathod, Shri Uttam

Ravani, Shri Navin

Satya Deo Singh, Shri

Shakyawar, Shri Nathuram

Singh, Dr. B. N.

Subba, Shri P. M.

Suryawanshi, Shri Narsing

Thorat Shri Bhausaheb

Vairale, Shri Madhusudan

Verma, Shri R. L. P.

Vijayaraghavan, Shri V. S.

Vyas, Shri Girdhari Lal

Wagh, Dr. Pratap

Yadav, Shri Vijay Kumar

Zainul Basher, Shri

NOES

Acharia, Shri Basudeb

Bag, Shri Ajit

Balanandan, Shri E.

Chaturbhuj, Shri

Chaudhury, Shri Saiffudin

Ghosh, Shri Niren

Giri, Shri Sudhir

Hasda, Shri Matilal

Mandal, Shri Sanat Kumar

Masudal Hossain, Shri Syed

Misra, Shri Satyagopal

Modak, Shri Bijoy

Mukherjee, Shri Samar

Palaniappan, Shri C.

Paranjape, Shri Baburao

Roy, Shri A. K.

Roy, Dr. Saradish

Saha, Shri Ajit Kumar

Shamanna, Shri T. R.

<sup>\*</sup>He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly."

330

MR. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction, the result\* of the division is as follows:

Ayes 068

Noes 019 -

The motion was adopted.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I introduce\*\* the Bill.

14.34 hrs.

## MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR BRINGING NORMALCY IN DELHI UNIVERSITY

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): The teachers of the University of Delhi are on strike since the 12th of October last, and the karamcharis since the 20th of September last. From available reports, one would conclude that normal teaching and office work has very largely come to a stop in the University and its colleges. The examination branch of the University is reported to have been shifted to a police station from where the conduct of the supplementary examinations is being supervised. The University Delhi being a Central University, the Central Government has a special responsibility in ensuring its normal functioning.

The President of the Delhi University Teachers' Association has communicated in writing to the Vice-Chancellor that the continuation of the strike can be reconsidered if the latter takes a single step forward on a single issue. The executive of Association has stated that if the process of giving and implementing of assurances is instituted the Association shall be willing to have meaningful negotiations.

I urge the bon. Minister of Education to intervene without any further loss of time and take steps towards restoring normalcy in the University through negotiations between teachers and the Karmacharia on the one hand and the University, the U.G.C. and the Ministry of Education on the other. Some positive step is called for in the direction of meeting at least some of the demands like promotional avenues and housing which also figured in an agreement between the University and the Karmachari Union.

(ii) Functioning of Telephone Exchange at Kauri Ram (Goralchpur)

श्री महावीर प्रसाद (बांसगाव): मान्यवर मैं आपके माध्यम से अएने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव गोरखपर में स्थित कोडीराम कस्बे में स्थापित टेलीफोन एक्सचैंज की अव्यवस्था के सम्बन्ध में संचार मंत्री का घ्यान आकर्षित करना चाहता हुं। श्रीमन मरा निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दिष्टकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में परिवहन की भी दश अत्यन्त दयनीय है। एसी परिस्थिति में उक्त एक्सचैंज जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिल्क ल केन्द्र में स्थित है फिर भी इसकी दशा अत्यन्त शौचनीय है। यह बिल्कुल खराब पड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशोष परिस्थिति में जिला मुख्यालय या अन्य स्थानों से सम्पर्क करना चाहता है तो वह सम्पर्क नहीं कर पाता। यह एक्सचैंज बह्त ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। इस एक्सचैं ज से काफी संख्या में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक टैलीफ़ोन लिए गए हैं जैसे बस स्टोशन, पावर हाउस, एस डी ओ पावर हाउन्स, तहसीलदार बांसगांग एस डी. एम बांसगांव आदि। साथ ही साथ विभागीय पी सी अ अर्थात कोड़ीराम, गगहा, सहगोरा, गजपुर, मलांव, बांसगांव, उरवां, लेलीपार तथा महावीर छपरा आदि का भी सम्बन्ध इसी एक्सचैंज से है। Travels , is which in the Thirty level

अतः पुन आपके माध्यम से संचार मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर इस एव-सर्वेज में सुधार करने के लिए आदेश प्रदान

<sup>\*</sup>The following Members also recorded their votes for AYES: Sarvashri Nand Kishore Sharma, Kamaluddin Ahmed, Uma Kant Mishra, S. Singaravadivel, Ratansingh Rajda and K. Kunhambu.

<sup>\*\*</sup>Introduced with the recommendation the President.